

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

72 / 2021
25.11.2021

बाबू पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी लसाडिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक

—रिस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 28.09.2021 मिसल नम्बर 132/2021

उपस्थिति : (1) श्री दीपचन्द बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 4.07.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 796/313 रकबा 0.10 है० किस्म बरानी-2 वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 18/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रिस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है और ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय में अपीलान्ट को दो सजाये क्रमशः बेदखल करने, पेनल्टी आरोपित करने, सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 796/313 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी-2 वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्तस एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 796/313 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी-2 वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त द्वारा दिनांक 30.06.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मेरा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, मैंने उक्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य मे भी मेरा उक्त भूमि पर किसी तरह का कब्जा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 28.09.2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



2-22
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
दोक